HRCI en USUA The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 293] No. 293] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 2010/ज्येष्ठ 7, 1932

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 2010/JYAISTHA 7, 1932

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2010

सा.का. नि. 452(अ). — केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तुं अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :—

- 1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) संशोधन आदेश, 2010 है।
 - (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- (3) द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 में खंड (3) के उप-खंड (2) में "19 कि.ग्रा." अंक और अक्षरों के स्थान पर "5 कि.ग्रा., 19 कि.ग्रा." अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

[फा. सं. पी-17011/4/2007-विप.] अपूर्व चंद्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 487(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 177(अ), तारीख 6 मार्च, 2002, सा.का.नि. 730(अ), तारीख 22 नवम्बर, 2007 और सा.का.नि 655(अ), तारीख 10 सितम्बर, 2009 द्वारा पश्चात्वर्ती रूप से संशोधित की गई।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2010

G.S.R. 452(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, namely:—

- 1. (1) This Order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2010.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- (3) In the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, in clause (3), in subclause (2), for the words, figures and letters "shall be made in 19kg", the words, figures and letters "shall be made in 5 kg, 19 kg" shall be substituted.

[F. No. P-17011/4/2007 - Mkt.]

APURVA CHANDRA, Jt. Secy.

Note:— The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 487(E), dated the 26th April, 2000 and was subsequently amended vide number G.S.R. 177(E), dated 6th March, 2002 number G.S.R. 730(E), dated 22nd November, 2007 and number G.S.R. 655(E), dated 10th September, 2009.